था अर्थात स्थगन आदेश से पूर्व ही प्रार्थी ने भूमि जरिये बेयनामा खरीद किया गया है

वादी ने हस्तगत वाद खाता विभाजन का पेश किया गया है खाता विभाजन हेतु सभी सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि सम्मत है प्रार्थी बैयनामा दिनांक 02.06.2023 के द्वारा सहखातेदार काश्तकार हो गया है केवल न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2023 प्रभावी रहने के कारण राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के आधार पर अकन नही हुआ है प्रार्थी सहखातेदार से जरिये बेयनामा भूमि खरीद करने के कारण खाता विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार हो गया है खाता विभजान करने के पूर्व सभी काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि सम्मत है

अतः प्रार्थी बंशीलाल पुत्र ख्यालीराम का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी /गेरसायल समायोजित किया जाता है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक आवश्यक तोर से जबाब पेश करे पत्रावली दिनांक 13.11.2024 को पेश हो।

13/11/24 वादी प्रतिवादी उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा, पत्रावली जवाब हेतु दि 12/12/24 को पेश हो।

12/12/24 पत्रावली पेश हुई श्रीमान जी पी.ओ. महोदय ..
अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली दि० 27/1/25 को पेश हो।

27/1/25 वादी प्रतिवादी उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 17/2/25 को पेश हो।

17/2/25 वादी प्रतिवादी उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 14/5/25 को पेश हो।

14/5/25 वादी प्रतिवादी उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली जवाब हेतु दि 13/6/25 को पेश हो।

13/6/25 पत्रावली पेश हुई श्रीमान जी पी.ओ. महोदय ..
अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली दि० 4/7/25 को पेश हो।

4/7/25 वादी प्रतिवादी उपस्थित वादी / वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की असवान का आपस में राजीनामा हो गया इसलिये वाद नही चलाना चाहते स्वारिज फरमाते वादी स्वयं के द्वारा अपना वाद नही चलाने के पक्ष खारिज किया जाता है। दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:16:45 IST
Reason: SelfAttested